320

MR DEPUTY-SPEAKER. Behave like an importan person, that is what I am telling you to do

15 02 hrs

## MATTERS UNDER RULE 377

(1) NEED FOR SETTING UP A CEMENT PLANT AT BASOHLI, JAMMU AND KASHMIR

DR KARAN SINGH (Udhampur). In reply to Staired Question No 154 answered on 26th July 1978 it has clearly been stated that the cement plant in Basohli, Jammu and Kashmir, has been approved in the name of the J & K Minerals Ltd With the construction of the Them Dam which will start shortly, there is an urgent need for setting up this cement factory Unfortunately, there there reasons to believe that the Jammu & Kashmir Government is not pursuing this matter as vigorously as was expected Recently some press reports that the project is likely to be shifted to Punjab, have caused widespread resentment in the Jammu region Basohli is a far flung Tehsil of the Jammu 16gion and has been declared The cement as a backward a ex factors there has been planned many 561 s ago and several assurances have been given regarding its constituction The present uncertamty is causing avoidable unrest in the area I would urge the Government of India to take up this matter immediately with the Jammu & Kashmir Government and, if necessary help to arrange the fund, for this vital project which has al-1 cady been mordinately delayed

(11) REPORTED EMPLOYING OF RESIDENTS OF TEFKAMGARH ONLY BY BHEL

श्री सक्सी नारायण नायक (खजर'हो) माननीय उपाध्यक्ष महोदय , मैं नियम 377 के तहत नीचे लिखे विषय की धोर सासन का ध्यान धाकुष्ट करना चाहता हूं। केन्द्रीय जासन द्वारा खेलार (कांसी, उत्तर प्रदेश) में बी० एच० ६० एन० का कारखाना स्थापित है। यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर है। इस कारखाने के कई भवन मध्य प्रदेश के जिला टीकमणड़ की सीमा में लगे हुए हैं। कारखाने का सारा विस्तार जिला टीकमणड़ की सीमा में होता है। आगे जब इसका विकास होगा, तब जिला टीकमणड़ की सीमा में ही होगा। जिला झांसी और जिला टीकमणड़ के कई गाव एक दूसरे की सीमा के बीच में स्थित हैं। यह सस्थान बुन्देलखण्ड के पिछडेपन को दूर करने को स्थापित हुआ है। बुन्देलखण्ड में जिला टीकमणड भी आत' है।

इस सस्थान में कुशल एव झकुशल कामगर की जो नवीन भरती की जाती है, वह जिला झासी या उत्तर प्रदेश के जालौन, बादा, हमीरपुर, जिलो की भर्ती की जाती है। केवल जिला टीकमगड ने उम्मीदवार नीकरी से विचत रखे जाते है। यह सकीणंता की मनो-वृति मानवीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। इस भेदभाव से जिला टीकमगड की जनता के बेहद प्रमतीय है। शासन का मैंने पहले भी कई बार ध्यान आर्कायत किया पर उस पर प्रभी तक ध्यान नही दिया गया है। स्थानीय प्रधिकारी सही परिस्थिति को शामन के समझ नही रख रहे है।

मुझे झाशा है कि उद्योग मन्नी इस बदिश को शीघ्र हटायेगे झौर जिला टीकमगढ के रोजगार दफतर से उम्मीदबारो के नाम मगाने की कार्यवाही करेंगे, जिस से भेदभाव मिट सके।

(111) SALE OF SULPHURIC ACID BY HINDUSTAN ZINCE LTD, UDAIFUR

श्री श्रानु कुमार शास्त्री (उदयपुर): उपाध्यक महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत इस विषय की श्रोर माननीय मंत्री श्री का ध्यान श्राक्ष्ट करना शाहता हं। इस बारे ने

<sup>\*\*</sup>Not recorded